

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ. 2(5)लेखा / प्रमुवसं / पार्ट-गा / 09-10 /

दिनांक

प्र.मु.व.सं. (TREE), / कार्य आयोजना एवं वनबन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।

अति. प्र.मु.व.सं., एन.टी.एफ.पी. / सिल्वीकल्वर
संभागीय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर / अजमेर
मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी., कोटा / विभागीय कार्य, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर /
परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी., जयपुर।

विषय:— Complete Shifting of work Transaction on treasury mode all over the state.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग राजस्थान द्वारा परिपत्र एफ. 1 (3)FD / GF&AR / 2014 दिनांक 18.03.2016 से सभी लोक निर्माण विभागों के भुगतान दिनांक 01.04.2016 से कोषालयों के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। वित्त विभाग के विस्तृत दिशा निर्देश वेब साईट www.financeraj.gov.in पर उपलब्ध है। आप अपने अधीनस्थ समस्त खण्ड कार्यालयों को उक्त परिपत्र में अंकित दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें। परिपत्र में वर्णित अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें :—

- विभाग के सभी वन मण्डलों में यह सिस्टम पूर्णतः लागू हो।
 - वन मण्डलवार भुगतान / रेवेन्यू / फार्म ऑफ एकाउन्ट / अन्य विवरण ऑन लाईन चैक करना।
 - सभी वन मण्डलों के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्य आदेश, तकनीकी स्वीकृति वेन्डर आदि सम्बन्धी समस्त मास्टर डाटा की मिलान कर 31.03.2016 से पूर्व सिस्टम में प्रविष्टि हो जावे।
- इसमें किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इस कार्यालय को अवगत करावे।

भवदीय,

८०/—
वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक ३१.३.१६

क्रमांक :— एफ. 2(5)लेखा / प्रमुवसं / पार्ट-गा / 09-10 / 11981
प्रतिलिपि:— प्रभारी कम्प्यूटर अधिकारी, कार्यालय हाजा को इसे साईट पर अपलोड करने हेतु

३८८
वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर